सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

28 कार्तिक, 1940 (श०)

संख्या- 1034 राँची, सोमवार, 19 नवम्बर, 2018 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

8 नवम्बर, 2018

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	BASUDEV PRASAD JHK/JAS/43	श्री वासुदेव प्रसाद, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, नाला, जामताड़ा का नाम प्रशाखा में संधारित आरोपों की सूची से विलोपित करते हुए मामले को संचिकास्त करने के संबंध में

संख्या-5/आरोप-1-795/2014-2714 (HRMS)-- श्री वासुदेव प्रसाद, झा०प्र०से०, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, नाला, जामताड़ा एवं अन्य अभियुक्तों के विरूद्ध वादी नेपाल राउत, पे०-स्व० भुवन राउत, ग्राम-यदुनन्दनपुर, थाना-नाला, जिला-जामताड़ा के लिखित आवेदन के आधार पर नाला थाना कांड सं०-84/07 दर्ज किया गया। वादी द्वारा आरोप लगाया गया कि दाग सं०-65 में पुरानी तालाब (रकबा-1.02 डिसमील एवं

खाता सं०-40) की मरम्मति (मिट्टी खुदाई) हेतु नरेगा योजना अन्तर्गत योजना सं०-27/2006-07 की स्वीकृति दी गई थी, जिसका प्राक्कलित राशि 97,200/- रूपये थी, परन्तु बिना मिट्टी खुदाई एवं तालाब मरम्मति कराये प्राक्कलित राशि 97,200/- में से 70,717/- रूपये की निकासी कर गबन कर ली गई।

उक्त थाना कांड में विधि (न्याय) विभाग, झारखण्ड के आदेश सं०-24/जे०, दिनांक 2 जून, 2010 द्वारा श्री प्रसाद के विरूद्ध भा०द०वि० की धारा-409, 418, 420 एवं 34 के तहत अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गई।

मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, जामताड़ा द्वारा उक्त कांड से संबंधित G.R. Case No. 413/2017- The State of Jharkhand (through Nepal Rout, Informant) Vrs. Basudeo Prasad & Ors. में दिनांक 1 सितम्बर, 2016 को पारित न्यायादेश में श्री प्रसाद को अभियोजन पक्ष द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण श्री प्रसाद के विरूद्ध आरोपों को अप्रमाणित पाते हुए आरोप मुक्त किया गया है।

विभागीय पत्रांक-138, दिनांक 6 जनवरी, 2017, पत्रांक-1543, दिनांक 21 फ़रवरी, 2017, पत्रांक-6202, दिनांक 15 मई, 2017 एवं पत्रांक-8783, दिनांक 16 जून, 2017 द्वारा ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड से इस संबंध में मंतव्य एवं विषयगत आरोपों हेतु श्री प्रसाद के विरूद्ध कृत अनुशासनिक कार्रवाई से अवगत कराने का अनुरोध किया गया।

ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-3131, दिनांक 24 अगस्त, 2018 द्वारा प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसमें प्रतिवेदित किया गया कि जी०आर० वांद सं०-413/2007 में सुनवाई के दौरान ससमय साक्ष्य प्रस्तुत करने की कार्रवाई जिला/प्रखण्ड स्तर से की गई एवं गवाहों के परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण के उपरांत गुण दोष के आधार पर आदेश पारित किया गया है।

अतः समीक्षोपरांत, श्री वासुदेव प्रसाद, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, नाला, जामताड़ा का नाम प्रशाखा में संधारित आरोपों की सूची से विलोपित करते हुए मामले को संचिकास्त किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव।
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2972

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 1034 -- 50